न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**

अध्यक्ष

प्रकरण क्रमांक पीबीआर/निगरानी/होशंगाबाद/भू.रा./2018/1145 विरूद्ध आदेश दिनांक 21.09.2017 पारित द्वारा अपर आयुक्त, नर्मदापुरम् संभाग, होशंगाबाद प्रकरण क्रमांक 152/अपील/2016-17.

---

1. हरगोविंद आ. स्व. श्री वीरेन्द्र साहू
2. हीरालाल आ. स्व. श्री वीरेन्द्र साहू
3. चन्द्रशेखर आ. स्व. श्री वीरेन्द्र साहू
4. द्वारकाप्रसाद आ. स्व. श्री वीरेन्द्र साहू

सभी निवासी ग्राम मढावन,
तह. बाबई, जिला होशंगाबाद, म.प्र. .....आवेदकगण

विरूद्ध

1. भैयालाल आ. स्व. गुरदयाल साहू
2. सीताराम आ. स्व. बाबूलाल साहू
3. राधेश्याम आ. स्व. परसराम साहू

सभी निवासी ग्राम मढावन,
तह. बाबई, जिला होशंगाबाद, म.प्र. .....अनावेदकगण

श्री विजय दुबे, अभिभाषक, आवेदकगण
श्री नरेश तिवारी, अभिभाषक, अनावेदक क्र. 1

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 15/6/19 को पारित)

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त, नर्मदापुरम् संभाग, होशंगाबाद द्वारा पारित दिनांक 21.09.2017 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि ग्राम ऑरी, ग्राम मढावन एवं ग्राम मजोलपुर तहसील बाबवई में अनावेदक क्र. 1 के नाम से कुछ भूमियां थीं। स्व. गुरदयाल के चार पुत्र थे। वीरन, बाबूलाल, परसराम एवं भैयालाल जिसमें से तीन पुत्र वीरन, बाबूलाल एवं परसराम फौत हो चुके हैं। गुरूदयाल के फौत होने के उपरांत ग्राम मजोलपुर की कृषि भूमि उनके पुत्र वीरन, बाबूलाल एवं मृतक पुत्र परसराम के पुत्र राधेश्याम के नाम संशोधन दर्ज किया गया। अनावेदक भैयालाल को कोई भूमि प्राप्त नहीं हुई। संशोधन पंजी पर अनावेदक क्र. 1 फर्जी हस्ताक्षर कराये गये। इसी प्रकार ग्राम ऑरी की कृषि भूमि पर आपसी बंटवारे अनुसार वीरन, बाबूलाल एवं राधेश्याम का नाम संशोधन क्र. 105 दिनांक 25.04.1994 दर्ज किया, इसमें भी उसे कोई हिस्सा नहीं दिया गया। इसी प्रकार ग्राम मढावन में फौती नामांतरण के तहत स्व. गुरूदयाल के सभी चारों पुत्रों बाबूलाल, वीरन, भैयालाल एवं राधेश्याम का नाम दर्ज किया गया है, परंतु ग्राम ऑरी एवं मजोलपुर की कृषि भूमि पर अनावेदक भैयालाल का नाम दर्ज नहीं किया जाकर विधि विरूद्ध संशोधन किया गया। उक्त संशोधन के विरूद्ध अनावेदक क्र. 1 भैयालाल द्वारा अनुविभागीय अधिकारी, होशंगाबाद के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई। अनुविभागीय अधिकारी द्वारा प्रकरण क्र. 40/अपील/2015-16 दर्ज कर दिनांक 22.03.2017 को आदेश पारित कर प्रस्तुत अपील समयावधि बाह्य होने से निरस्त की गई, जिसके विरूद्ध द्वितीय अपील अपर आयुक्त, नर्मदापुरम् संभाग, होशंगाबाद के समक्ष प्रस्तुत करने अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 21.09.2017 2017 को आदेश पारित कर अधीनस्थ न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी का आदेश निरस्त कर अपील स्वीकार की गई। अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3/ आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक लिखित तर्क प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया था, किंतु उनके द्वारा आज दिनांक तक लिखित तर्क प्रस्तुत नहीं किये गये हैं। अत: प्रकरण का निराकरण निगरानी मेमो में उठाये गये आधारों पर किया जा रहा है। उनके द्वारा प्रस्तुत निगरानी मेमो में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं-

(1) अपर आयुक्त को यह देखना था कि अनावेदक क्र. 1 द्वारा तीसरी पीढ़ी के साथ 22 वर्ष पश्चात् संयुक्त नाम जुड़वाने की अपील विचारण में ली जाने योग्य नहीं है, क्योंकि यदि अनावेदक क्र. 1 का कोई अंश बनता है तो उन्हें व्यवहार न्यायालय से स्वत्व निराकरण कराना चाहिए, राजस्व न्यायालय को अंश/स्वत्व निर्धारण के क्षेत्राधिकार प्राप्त नहीं हैं।

(2) अनावेदक क्र. 1 का नाम प्रकरण में संलग्न संशोधन पंजी अथवा खसरा किश्तबद्धी या राजस्व अभिलेख में नहीं है, इस कारण उन्हें अपील करने का अधिकार भी नहीं होने से उक्त अपील का आदेश स्थिर रखे जाने योग्य न होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

(3) अनावेदक क्र. 1 आवेदकगण एवं अनावेदक क्र. 2 व 3 के हितबद्ध पक्षकार भी नहीं हैं तथा व्यथित व्यक्ति नहीं होने से उन्हें अपील करने का अधिकार नहीं है। इस कारण द्वितीय अपील में पारित आदेश निरस्त किये जाने योग्य है।

(4) द्वितीय अपील प्राधिकारी को यह देखना था कि अनावेदक क्र. 1 अपील मेमो की कंडिका 12 में दर्शाये विवरण अनुसार अपना हिस्सा पूर्व में ही पा चुका है। इस कारण उनका आदेश निरस्त किये जाने योग्य है।

(5) अनावेदक क्र. 1 द्वारा प्रस्तुत अवधि विधान की धारा 5 के आवेदन में विलंब का कोई कारण नहीं दर्शाया है, जबकि उन्हें दिन प्रतिदिन विलंब का कारण दर्शाना था। द्वितीय अपील में भी विलंब का कारण नहीं दर्शाया गया है। जानकारी का दिनांक एवं श्रोत साबित किये बिना उदारतापूर्वक विचार किया जाना संभव नहीं है। इस कारण भी द्वितीय अपील में पारित आदेश निरस्त किये जाने योग्य है।

(6) द्वितीय अपील प्राधिकारी द्वारा पारित आदेश दिनांक 21.09.2017 की जानकारी दिनांक 30.11.2017 को प्राप्त होने पर प्रमाणित प्रति हेतु उसी दिनांक को आवेदन किया गया प्रमाणित प्रति 05.01.2018 को प्राप्त होने पर यह पुनरीक्षण याचिका समय सीमा में आदेश की वैधता एवं नियमितता के परीक्षण हेतु इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

अत: उनके द्वारा निगरानी स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश निरस्त करते हुए अनुविभागीय अधिकारी का आदेश स्थिर रखने का अनुरोध किया गया।

4/ अनावेदक क्र. 1 के विद्वान अभिभाषक द्वारा लिखित तर्क प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया था, किंतु उनके द्वारा आज दिनांक तक कोई लिखित तर्क प्रस्तुत नहीं किये गये हैं। अत: उनके द्वारा मौखिक रूप से तर्क प्रस्तुत करते हुए अभिलेखों के आधार पर प्रकरण का निराकरण करने का अनुरोध किया गया।

5/ अनावेदक क्र. 2 व 3 के सूचना उपरांत अनुपस्थित रहने के कारण उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई है।

6/ उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्को के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया। अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि ग्राम ऑरी, ग्राम मुढावन एवं ग्राम मजोलपुर तहसील बाबई में स्थित भूमियों पर गुरूदयाल की मृत्यु के बाद आवेदक का 1/4 अंश बनता है। तीनों ग्रामों की संशोधन पंजी के अवलोकन पश्चात् पाया गया कि ग्राम मढावन में फौती नामांतरण के तहत स्व. गुरूदयाल के सभी चारों पुत्रों का नाम दर्ज किया गया है, परंतु ग्राम ऑरी एवं ग्राम मजोलपुर की कृषि भूमि पर आवेदक का नाम दर्ज नहीं किया जाकर विधि विरूद्ध संशोधन किया गया। उक्त संशोधन की अपील अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष करने पर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अवधि विधान की धारा 5 के तहत अपील निरस्त की गई है, जिसकी द्वितीय अपील अपर आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत की गई, जो स्वीकार कर अनुविभागीय अधिकारी का आदेश इस आधार पर निरस्त किया गया कि विधि का सुस्थापित सिद्धांत है कि समय सीमा के आवेदन पत्र पर उदारतापूर्वक विचार किया जाये। इस संबंध में अनेक न्याय दृष्टांत भी हैं। अतः अपर आयुक्त द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के त्रुटिपूर्ण आदेश को निरस्त कर विधिसंगत आदेश पारित किया गया है, जो कि स्थिर रखे जाने योग्य है।

7/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त, नर्मदापुरम् संभाग, होशंगाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांक 21.09.2017 स्थिर रखा जाता है। निगरानी निरस्त की जाती है।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर